



Central Pollution Control Board
(Ministry of Environment, Forests & Climate Change, Govt. of India)
Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar,
Delhi – 110032.

F.No.B-12015/48/Admn.(Coord.)/2017

the 07th August, 2019

CIRCULAR

Sub.: - Timely submission of Medical Claims by the Employees of CPCB– reg.

As per O.M. No. S.14025/19/2015-MS dated the 27th May, 2015 issued by the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, the prescribed time limit for submission of Medical Claims for reimbursement is six months from the date of last treatment. It has been noticed that some of the employees submit their Medical Claims for reimbursement after the lapse of time limit prescribed in this regard.

02. The Competent Authority, CPCB has taken a serious view and directed that all the employees should follow the time limit in submitting their claims for reimbursement. No request for condonation of delay in submitting the medical claims will be entertained.

03. This issues with the approval of the Competent Authority, CPCB.

(Ashok Kashyap)

Administrative Officer (Coord.)

Distribution: -

- | | |
|---|---|
| 1. ✓ All the Divisional Heads at head Office, Delhi | For Circulation in their Division for information of their staff. |
| 2. All Incharges of Regional Directorates of CPCB for circulations of among their staff in RDs. | |
| 3. PS to CCB | For kind information of CCB. |
| 4. PS to MS | For kind information of MS. |
| 5. ACO-II | For information please. |
| 6. All Notice Board of Parivesh Bhawan, Delhi | For information and n/a please. |

To upload on website of CPCB

(D.S.)

(Ashok Kashyap)

Administrative Officer (Coord.)

Incharge. J.T. - Div



केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर,

दिल्ली-110032

सं.बी-12015/48/प्रशा.(समन्वयन)/2017 197

दिनांक: 07.08.2019

परिपत्र

विषय: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा समय पर चिकित्सा दावा प्रस्तुत करने के संबंध में।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 27 मई, 2015 के कार्यालय ज्ञापन सं. एस.14025/19/2015-एमएस के अनुसार, प्रतिपूर्ति हेतु चिकित्सा दावा प्रस्तुत करने की निर्धारित समय सीमा उपचार की अंतिम तिथि से 06 माह है। इस संबंध में यह देखा गया है कि कुछ कर्मचारी निर्धारित समयावधि के पश्चात प्रतिपूर्ति हेतु अपना चिकित्सा दावा प्रस्तुत करते हैं।

02. सक्षम प्राधिकारी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसे गंभीरता से लिया है तथा निदेश दिया है कि सभी कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत करने की निर्धारित समय सीमा का पालन करना चाहिए। चिकित्सा दावों को विलंब से प्रस्तुत करने को क्षमा करने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

03. यह सक्षम प्राधिकारी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(अशोक कश्यप)

प्रशासनिक अधिकारी (समन्वयन)

वितरण:-

1. सभी प्रभाग प्रभारी, मुख्यालय, दिल्ली - कृपया इसे अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों में परिचालित करें।
2. सभी क्षेत्रीय निदेशालयों के क्षेत्रीय निदेशक, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - कृपया अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों में परिचालित करें।
3. अध्यक्ष, केंद्रीय बोर्ड के निजी सचिव - अध्यक्ष, केंद्रीय बोर्ड के सूचनार्थ।
4. सदस्य सचिव के निजी सचिव - सदस्य सचिव के सूचनार्थ।
5. लेखा अधिकारी-11 - सूचनार्थ।
6. परिवेश भवन, दिल्ली के सभी सूचना पट्ट - सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

(अशोक कश्यप)

प्रशासनिक अधिकारी (समन्वयन)